UPJS010006972026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन - **कमलेश कच्छल (उच्चतर न्यायिक सेवा)** (JO Code No- UP1881)

सत्र वाद संख्या- 101/ 2026 (CNR No. - UPJS01- 000697- 2026)

उ०प्र० राज्य बनाम **मो० आबिद**

मु०अ०सं०- 317/ 2025

धारा- 85,80(2) ,352 भारतीय न्याय संहिता, 2023

एवं धारा- 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना- कोतवाली, जिला- झाँसी।

दिनांक- 30. 03. 2026 **आदेश**

1. पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त मो० आबिद न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार से उपस्थित। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित।

2. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों का वर्णन करते हुए यह कथन किया है कि वह अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये अभियोग को किस - किस साक्ष्य से प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना करते हैं तथा यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त ने प्रश्नगत घटना में वादी मुकदमा की बहन हिना खान को अतिरिक्त दहेज के रूप में कार व नगद रूपये आदि की माँग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी दहेज हत्या करने का अपराध कारित किया है।

जबकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त को झूंठा फंसाये जाने व उसके द्वारा कोई अपराध कारित न किये जाने का कथन कर मामले में उसे उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई।

3. अभियोजन कथानक एवं पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी सहित अन्य दस्तावेजों पर विचार किया तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस अभिमत की है कि मामले में ऐसी उपधारणा करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है कि अभियुक्त मो० आबिद ने धारा- 85, 80(2) ,352 भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा- 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित कर परीक्षण करने का पर्याप्त आधार है।

5. अतएव एतदद्वारा मैं यह निर्देश देती हूं कि अभियुक्त **मो० आबिद** के विरूद्ध धारा - **85, 80(2) ,352 भारतीय न्याय संहिता, 2023** एवं धारा- **4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाये।

6. अभियुक्त के विरूद्ध पृथक रूप से आरोप विरिचत किया गया व अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने लगाये गये आरोपों को अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की। फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही अग्रसारित की गयी।

7. पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य **दिनांक- 13. 04. 2026** को पेश हो। साक्षी नियमानुसार तलब हों।

दिनाँक- 30. 03. 2026

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

Digitally signed by Kamlesh Kuchhal
Date: 2026.03.30 15:51:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

UPJS010006972026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन - **कमलेश कच्छल (उच्चतर न्यायिक सेवा)** (JO Code No- UP1881)

सत्र वाद संख्या- 101/ 2026 (CNR No. - UPJS01- 000697- 2026)

उ०प्र० राज्य बनाम **मो० आबिद**

मु०अ०सं०- 317/ 2025

धारा- 85, 80(2) , 352 भारतीय न्याय संहिता, 2023

एवं धारा- 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना- कोतवाली, जिला- झाँसी।

आरोप

मैं **कमलेश कच्छल**, सत्र न्यायाधीश, झाँसी आप अभियुक्त **मो० आबिद** के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित करती हूँ-

1- यह कि दिनांक- 07. 02. 2023 को वादी मुकदमा शहबाज खान की बहन हिना खान का विवाह आप अभियुक्त के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से सम्पन्न होने के उपरान्त से घटना दिनांक - 01. 10. 2025 को समय रात्रि 10 बजे के पूर्व तक, स्थान- वादी की बहन / मृतका की ससुराल / मकान अभियुक्त, चौकी क्षेत्र बड़ागांव , अन्तर्गत थाना- कोतवाली, जिला- झाँसी के क्षेत्राधिकार में आप अभियुक्त ने अतिरिक्त दहेज के रूप में कार व नगद रूपये आदि की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की। इस प्रकार आपका यह कृत्य **भारतीय न्याय संहिता, 2023** की **धारा- 85** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

2- यह कि दिनांक- 07. 02. 2023 को वादी मुकदमा शहबाज खान की बहन हिना खान का विवाह आप अभियुक्त के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से सम्पन्न होने के उपरान्त आप अभियुक्त ने अतिरिक्त दहेज के रूप में कार व नगद रूपये आदि की माँग को लेकर उसे उत्पीड़ित व प्रताड़ित किया और इसी प्रताड़ना के फलस्वरूप दिनांक - 01. 10. 2025 को समय रात्रि 10 बजे के पूर्व, स्थान- वादी की बहन/ मृतका की ससुराल/ मकान अभियुक्त, चौकी क्षेत्र बड़ागांव, अन्तर्गत थाना- कोतवाली, जिला- झाँसी के क्षेत्राधिकार में विवाह होने के सात वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में वादी मुकदमा की बहन की मृत्यु (जहर से) हुई, जो दहेज हत्या की परिधि में है। इस प्रकार आपका यह कृत्य **भारतीय न्याय संहिता, 2023** की **धारा- 80(2)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

3- यह कि उपरोक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की बहन हिना खान को गन्दी- गन्दी गालियाँ देते हुए अपमानित कर लोक शांति भंग करने हेतु प्रकोपित किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **भारतीय न्याय संहिता** की **धारा- 352** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

4- यह कि उपरोक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा की बहन से अतिरिक्त दहेज के रूप में कार व नगद रूपये आदि की मांग कर उसे उत्पीड़ित व प्रताड़ित किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **दहेज प्रतिषेध अधिनियम** की **धारा- 4** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव मैं एतदद्वारा आप अभियुक्त को यह निर्देश देती हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाँक- 30. 03. 2026 **(कमलेश कच्छल)**

सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोपों से इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनाँक- 30. 03. 2026 **(कमलेश कच्छल)**

सत्र न्यायाधीश, झाँसी।